प्रकाशन हेतु अनुमोदित

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 758/1995

आर.के.देवांगन देवांगन पिता प्यारेलाल, उच्च श्रेणी लिपिक, रायपुर जिला मत्स्य कृषक अभिकरण, रायपुर, निवासी–ब्राह्मणपारा रायपुर।

... . याचिकाकर्ता

बनाम

1. रायपुर जिला मत्स्य विकास अभिकरण, रायपुर द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर, रायपुर कलेक्ट्रेट, रायपुर, मुख्यालय रायपुर।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर, जिला रायपुर, मत्स्य कृषक अभिकरण, रायपुर, मुख्यालय कलेक्ट्रेट, रायपुर।
3. मत्स्योद्योग निदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. मध्य प्रदेश शासन द्वारा सचिव कृषि (पशु चिकित्सा) विभाग, भोपाल।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

... . उत्तरवादीगण

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उपयुक्त परमादेश और उत्प्रेषण तथा अन्य उचित रिट और निर्देश जारी करने के लिए याचिका:–</u>

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका क्रमांक 3233/2005

आर.के.देवांगन

बनाम

रायपुर जिला मत्स्य विकास अभिकरण और अन्य

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री।

याचिकाकर्ता के लिए : श्री एस.पी. शर्मा, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 के लिए : श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता सहित श्री आई.एन. श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता।

मौखिक आदेश
(22 अगस्त, 2006)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति रुपये 169–300 के वेतनमान में क्लर्क–कम–टाइपिस्ट (निम्न श्रेणी लिपिक) के पद पर आदेश दिनांक 31.1.1974 (अनुलग्नक पी/2) के द्वारा हुई थी। उसके बाद याचिकाकर्ता को दिनांक 20.3.1989 के आदेश (अनुलग्नक पी/7) के द्वारा रुपये 975–1450 के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक (यू.डी.सी.) के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता 28 फरवरी, 1995 तक यू.डी.सी. के पद पर बना रहा, उसके बाद उसे दिनांक 28.2.1995 के आदेश (अनुलग्नक पी/12) के द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया गया।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.पी. शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.2.1995 का आक्षेपित आदेश दीवानी परिणामों से संबंधित है तथा चूंकि इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था, इसलिए यह आदेश इस साधारण आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा कार्यवाही में निष्पक्षता का पालन न किए जाने के कारण दोषपूर्ण है। यह भी तर्क दिया गया है कि मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी एवं अर्ध–स्थायी सेवा) नियम, 1960 (संक्षेप में नियम, 1960) के प्रावधानों के अंतर्गत, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाया गया है, याचिकाकर्ता ने उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पांच वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी करने पर नियम 3–ए के अंतर्गत सेवा में अर्ध–स्थायी दर्जा प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता की सेवा को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा कार्यवाही में

निष्पक्षता के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किए जाने के अलावा किसी अन्य आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता था।

3. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 2 अर्थात रायपुर जिला मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, रायपुर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर जिला मत्स्य कृषक अभिकरण, रायपुर को कई बार सूचना पत्र जारी करने के बावजूद उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से दिनांक 12.4.1995 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से यह अभिवचन किया गया है कि नियम 1960 के नियम 3 और 3–ए के अंतर्गत अर्ध–स्थायी स्थिति की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उक्त नियम लागू होता हैं, क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 का कहना यह नहीं है कि उक्त नियम याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होते। जवाबदावा में यह भी कथन किया गया है कि चूंकि उच्च श्रेणी लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवाएं निम्न पद पर प्रतिवर्तित कर दी गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री वी.वी.एस. मूर्ति, विद्वान उप महाधिवक्ता सहित श्री एल.एन. श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 की ओर से उपस्थित हुए, उन्होंने यह तर्क किया कि इस मामले को उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य अर्थात उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 का इस मामले में कोई हित नहीं है और उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 के खिलाफ याचिकाकर्ता को कोई शिकायत नहीं है।

5. नियम 1960 के नियम 3 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर, श्री मूर्ति ने अपनी सामान्य स्पष्टता और निष्पक्षता से तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में जहां याचिकाकर्ता ने 5 वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी कर ली है, नियम 1960 के नियम 3–ए के अंतर्गत कोई घोषणा आवश्यक नहीं है। नियम 1960 का नियम 3 नीचे उद्धृत है:–

"3. कोई भी शासकीय सेवक अर्धस्थायी सेवा में माना जायेगा, यदि –

(i) यदि वह लगातार तीन वर्ष से अधिक उसी एक ही सेवा अथवा पद की अस्थायी सेवा में रहा है; और

(ii) यदि अर्धस्थायी हैसियत में नियुक्ति के लिये आयु, योग्यता, कार्य तथा चरित्र से सम्बन्धित उपयुक्तता के सम्बन्ध में राज्यपाल के ऐसे समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसरण में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होकर वैसी घोषणा की गई हो।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन के लिये निरन्तर सेवा की संगणना करने के लिये किसी दीर्घावकाश (वेकेशन) के दौरान सेवा में विघ्न (ब्रेक–इन–सर्विस) की अवधि की गणना वास्तविक सेवा की अवधि के रूप में की जायेगी जहां पर ऐसी अवधि के सम्बन्ध में दीर्घावकाश के ठीक पश्चात् पुनः नियुक्ति पर शासकीय सेवक को अपना वेतन और भत्ते प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

3–ए. किसी शासकीय सेवक के सम्बन्ध में जिसके बारे में नियम 3 के खंड (दो) के अधीन कोई घोषणा जारी नहीं की गई हो, परन्तु जो ऐसी किसी सेवा या पद पर जिसके बारे में ऐसी घोषणा की जा सकती थी अस्थायी सेवा में निरन्तर पांच वर्ष तक रहा है, अर्धस्थायी सेवा में माना जायेगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अन्यथा आदेश न दे।"

"3–एए. नियम 3 और 3–ए के प्रयोजन के लिये, किसी नियुक्ति के प्रकरण में–

(ए) जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है, वहां किसी शासकीय सेवक द्वारा भरती नियमों के उपबन्धों या राज्यपाल द्वारा समय–समय पर जारी किये गये किन्हीं निर्देशों के अनुसरण में अस्थायी नियुक्ति के पूर्व जो सेवा की गई है उसे, सेवा के पूर्ण तीन वर्ष या पाँच वर्ष, जैसा भी प्रकरण हो, मानने हेतु गणना में नहीं ली जायेगी;

(बी) जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित है, वहाँ किसी शासकीय सेवक द्वारा की गई वह सेवा जो, लोक सेवा आयोग द्वारा उसका चयन किये जाने के पूर्व की गई है उस सेवा के पूर्ण तीन वर्ष या पाँच वर्ष, जैसा भी प्रकरण हो, मानने हेतु गणना में नहीं ली जायेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा याचिका और जवाबदावा से संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया था। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी आदेश जो दीवानी परिणामों से संबंधित हो तथा शासकीय कर्मचारी के मामले को प्रभावित करता हो, संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा इस प्रकार दिनांक 28.2.1995 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक–पी/12) दोषपूर्ण है।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में अर्थात **एच.एल. त्रेहन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य {(1989) 1 एस.सी.सी. 764} और भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य (ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 2480)** में स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि बिना कारण बताओ सूचना जारी किए और सुनवाई का अवसर दिए बिना पंक्ति में अवनत किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने **गजानन एल. पेरनेकर बनाम गोवा राज्य और अन्य {(1999) 8 एस.सी.सी. 378)** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि सुनवाई का अवसर दिए बिना लाभ वापस नहीं लिया जा सकता था।

8. उपरोक्त कारणों से दिनांक 28.2.1995 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक–पी/12) अभिखंडित किया जाता है।

9. बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में, चूंकि याचिकाकर्ता यू.डी.सी. के पद पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह पूरा बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जब आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को उसके उचित वेतन से वंचित किया गया है, तो याचिकाकर्ता विधि में स्वीकार्य संशोधित वेतनमान के साथ पिछला वेतन का 50% बकाया पाने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/—
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate